बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

पत्र सं0– वि॰प्रा॰(II) य[1] –20/2010– /पटना, दिनांक

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,पटना

विषय– विभागान्तर्गत नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी में योजना मद के अधीन सृजित पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर संस्थान द्वारा चयनित अतिथि शिक्षकों/तकनीकी कर्मियों को निर्धारित दर पर मानदेय भुगतान तथा विद्युत व्यय हेतु क्रमशः रू॰ 18,00,000=00 मात्र तथा रू॰ 8,00,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 26,00,000=00 (छब्बीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में संस्थान को विमुक्त करने के संबंध में।

आदेश– स्वीकृत।

राज्य सरकार ने प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी के पत्रांक– 102 एवं 103, दिनांक 21.02.2017 द्वारा मांग की गई राशि के आधार पर संस्थान में योजना मद के अधीन सृजित पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर संस्थान द्वारा चयनित अतिथि व्याख्याताओं को निर्धारित दर पर मानदेय भुगतान तथा विद्युत व्यय हेतु क्रमशः रू॰ 18,00,000=00 मात्र तथा रू॰ 8,00,000=00 मात्र अर्थात कुल रू॰ 26,00,000=00 (छब्बीस लाख रुपये) मात्र की स्वीकृति तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में संस्थान को विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त स्वीकृत राशि, वित्तीय वर्ष 2016–17 के योजना बजट के ''मुख्यशीर्ष –2203– तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष– 112-- इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, मांग संख्या–43, उपशीर्ष –0101– स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम'' के अधीन 13 04 विद्युत प्रभार तथा 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं विषयशीर्षों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपबंधित राशि से विकलनीय होगी, जिसका विपत्र कोड– P 2203001120101 है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी राजकीय कोषागार, हिलसा से की जायेगी।

5. उक्त स्वीकृत राशि से संस्थानों में सृजित पदों के विरूद्ध रिक्त पदों पर विभागीय पत्रांक–586, दिनांक 24.3.2009 एवं पत्रांक–149, दिनांक 17.01.2012 में निहित दिशा–निर्देश के आलोक में संबंधित संस्थानों द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित योग्यता एवं अर्हता धारित चयनित अतिथि सहायक प्राध्यापकों तथा योग्य अर्हता धारित चयनित अतिथि अनुदेशकों/ प्रयोगशाला सहायकों को अभियंत्रण पाठ्यक्रमों में प्रति सत्र विषयवार निर्धारित व्याख्यान की सीमा के अन्तर्गत उनके द्वारा सम्पादित व्याख्यानों/ प्रायोगिक/ सात्रिक के लिए निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान नियमानुसार किया जा सकेगा।

6. उक्त स्वीकृत राशि की निकासी, वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या– 96 वि(2), दिनांक 03.01.2008 के आलोक में सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है।

8. वित्त विभाग के पत्रांक– 7355 वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में उक्त स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकार पत्र की आवष्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/ –
(मिर्जा आरिफ रजा)
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(II) य[1] –20/2010– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– योजना एवं विकास विभाग /वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(II) य[1] –20/2010– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, राजकीय कोषागार, हिलसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(II) य[1] –20/2010– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः– प्राचार्य, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी को उनके पत्रांक– 102 एवं 103, दिनांक 21.02.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह॰/ –
सरकार के उप सचिव

ज्ञाप संख्या– वि॰प्रा॰(II) य[1] –20/2010– 522 /पटना, दिनांक– 1-3-017

प्रतिलिपिः– माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/उप निदेशक (यो)/बजट सहायक/आई॰टी॰ मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/03/17
सरकार के उप सचिव

01/3/17